

# कार्यालय नगर परिषद बैकुण्ठपुर जिला-रीवा (म.प्र.)

क्रमांक 189 / भंडार / निविदा आमंत्रण / 2026

बैकुण्ठपुर, दिनांक 13.05.2026

## ई-निविदा आमंत्रण

समस्त इच्छुक व्यक्ति/पंजीकृत फर्म/अधिकृत विक्रेताओं को सूचित किया जाता है कि निकाय क्षेत्र में निर्मित 03 सुलभ शौचालय का वर्ष 2026-27 हेतु संचालन/संधारण हेतु खुली निविदा के माध्यम से ठेका हेतु निविदा आमंत्रित की जाती है विस्तृत निविदा सूचना तथा अन्य जानकारी वेबसाईट <https://mptenders.gov.in> पर देखी जा सकती है, विवरण निम्नानुसार है :-

टेंडर क्र.	नाम सामग्री विवरण	अनुमानित लागत	निविदा मूल्य एवं अमानत राशि	निविदा की अंतिम तिथि
2026-VAD. 508604-1	सुलभ काम्पलेक्स ठेका वर्ष 2026-27 1. वार्ड क्रमांक 02 बस स्टैण्ड 2. वार्ड क्रमांक 10 मेन बाजार 3. वार्ड क्रमांक 15 हास्पिटल के पास	100000 वार्षिक	निविदा फार्म 1000 एवं अमानत राशि 5000	14.05.2026 से 26.05.2026

शर्तें :-

- निविदाकार को समस्त शौचालयों के संचालन एवं संधारण हेतु आवश्यक सामग्री की व्यवस्था स्वयं करनी होगी।
- शौचालय की साफ-सफाई/फिनालय छिड़काव/अन्य मरम्मत कार्य स्वयं निविदाकार को करनी होगी।
- शौचालय के संचालन कार्य हेतु 01-01 कर्मचारी रखना अनिवार्य होगा। जिनके आधार कार्ड, पुलिस सत्यापन एवं 02 पासपोर्ट साइज की फोटो कार्यालय में कार्यादेश प्राप्त होने के 03 दिवस में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- अनुबंध के साथ अमानत राशि ₹0 20000.00 की एफ.डी.आर. जो कि मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर परिषद बैकुण्ठपुर के नाम देय हो प्रस्तुत कर अनुबंध निष्पादन करना होगा।
- शौचालय में पूर्व से लगी मशीनों का रख-रखाव एवं आवश्यक सुधार निविदाकार को करना होगा, किसी प्रकार की क्षति होने पर निविदाकार की जमा अमानत राशि में से कटौती की जावेगी।
- शौचालय में पुताई कार्य निविदाकार को कराना होगा।
- शौचालय में लगे मोटर एवं अन्य जल प्रदाय सामग्री का रख-रखाव एवं आवश्यक सुधार निविदाकार को करना होगा।
- शौचालय का संचालन स्वच्छता सर्वेक्षण की गाइडलाईन अनुसार सुबह 05 बजे से रात्रि 10 बजे तक करना अनिवार्य होगा।
- तीनों शौचालयों की दर एक साथ वार्षिक में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- निविदा स्वीकृत पश्चात बोली गई राशि में प्रथम किश्त 25% तत्काल एवं शेष 03 किश्तें 25-25 प्रतिशत की आगामी तीन माह की 01 तारीख से 10 तारीख के बीच जमा करना अनिवार्य होगा, विलम्ब होने पर 50 ₹ प्रतिदिन की दर से अधिभार लिया जायेगा।
- निविदाकार की उच्चतम निविदा स्वीकृत उपरान्त निर्धारित स्टाम्प पर अनुबंध करना अनिवार्य होगा।
- निविदा स्वीकृत/अस्वीकृत का अधिकार नगर परिषद बैकुण्ठपुर को होगा, जिसका कारण बताना अनिवार्य नहीं होगा।
- दर स्वीकृत उपरान्त सूचना प्राप्ति के पश्चात निर्धारित ई-स्टाम्प पेपर में निर्धारित समयावधि में अनुबंध करना होगा अन्यथा ठेका निरस्त कर अमानत राशि राजसात होगी।
- यदि किसी निविदाकार को किसी संस्था या निकाय द्वारा ब्लैक लिस्टेड किया गया है तो उसकी निविदा स्वयं निरस्त मानी जावेगी।
- शौचालय संचालन एवं संधारण कार्य का निरीक्षण निकाय के पदाधिकारी/मु0न0पा0अधिकारी/मुख्य नगर पालिका अधिकारी द्वारा नियुक्त अन्य कर्मचारी द्वारा किसी भी समय किया जा सकता है। निर्धारित मापदण्डों के अनुसार संचालन एवं संधारण का कार्य गुणवत्ता पूर्व एवं निर्धारित मापदण्डों पर न पाये जाने पर 500.00 ₹ की पैनाल्टी लगायी जावेगी।
- अत्यधिक शिकायतें या कार्य गुणवत्तापूर्वक न पाये जाने पर निविदाकार की जमा अमानत राशि राजसात करते हुए निविदा निरस्त कर दी जावेगी।

17. सफल निविदाकार की कार्य अवधि में कार्यकुशलता को देखते हुए निकाय की सहमति के आधार पर दो वर्ष की वृद्धि स्वीकृत दर में 10% वृद्धि कर की जावेगी।
18. अन्य जानकारी कार्यालयीन समय में कार्यालय में उपस्थित होकर अवलोकन की जा सकती है।
19. किसी प्रकार के वाद विवाद की स्थिति में न्यायालयीन क्षेत्र सिरमौर होगा।

श्रीमती मीना तीरथ गुप्ता  
अध्यक्ष  
नगर परिषद् बैकुण्ठपुर  
जिला-रीवा म.प्र.

श्रीमती निधि राजपूत  
मुख्य नगर पालिका अधिकारी  
नगर परिषद् बैकुण्ठपुर  
जिला-रीवा म.प्र.

पृ. क्रमांक /190/भंडार/निविदा आमंत्रण/2026  
प्रतिलिपि :-

बैकुण्ठपुर, दिनांक 14.05.2026

1. कलेक्टर महोदय जिला रीवा की ओर सूचनार्थ।
2. परियोजना अधिकारी जिला शहरी विकास अभिकरण रीवा की ओर सूचनार्थ।
3. नगर निगम रीवा एवं नगर परिषद् बैकुण्ठपुर, सेमरिया, मनगवां, जिला रीवा तथा निकाय के कार्यालय नोटिस बोर्ड में चस्पा हेतु।
4. सम्पादक \_\_\_\_\_ समाचार पत्र रीवा को आगामी अंक में एकदिनी प्रकाशन हेतु जिसका बिल रूपए 2000.00 तक हो।

मुख्य नगर पालिका अधिकारी  
नगर परिषद् बैकुण्ठपुर  
जिला-रीवा म.प्र.